



रा.अपील प्र. क्रमांक / 17

प्रस्तुति दिनांक 23/11/2017

132



रा.रा. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प

इन्दौर के समक्ष

PBR/किगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/4623

1. सूरजसिंह पिता स्व. सावंतजी

आयु वयस्क लगभग 60 वर्ष, धंधा- कृषि कार्य

निवासी- गांव रोजड़ी तहसील हातोद जिला इन्दौर

श्री. जगदीश चौधरी

आश्रित पक्षे द्वारा
23/11/2017

2. रतनलाल पिता स्व. सावंतजी

आयु वयस्क लगभग 55 वर्ष, धंधा- कृषि कार्य

निवासी- गांव रोजड़ी तहसील हातोद जिला इन्दौर

B
23/11/2017

3. गजराज पिता स्व. सावंतजी

आयु वयस्क लगभग 45 वर्ष, धंधा- कृषि कार्य

निवासी- गांव रोजड़ी तहसील हातोद जिला इन्दौर -रिक्कीजन कर्तागण

विरुद्ध

1. मुस्कान पिता स्व. पवन आयु- अवयस्क

द्वारा- दादा सुखराम पिता कालु

आयु- वयस्क धंधा कुछ नहीं

निवासी- ग्राम पीतावली तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

अविरत.....2

2. छोगालाल पिता स्व. श्री सावंतजी

आयु- वयस्क धंधा- कृषि

निवासी- गांव रोजड़ी तहसील हातोद जिला इन्दौर

3. सुनिल पिता स्व. निहालसिंह

आयु- वयस्क धंधा- कृषि कार्य

4. अनिल पिता स्व. निहालसिंह

आयु- वयस्क धंधा- कृषि

निवासी- गांव रोजड़ी तहसील हातोद जिला इन्दौर

---प्रत्यर्थागण

प्रस्तुत रिक्हीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता के तहत अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हातोद जिला इन्दौर के अपील प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2015-16 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 01/09/2017 को निरस्त करने बाबद् एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार हातोद के नामांतरण प्र.क्रं. 102-अ-6/2014-15 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 11/12/2015 को नियत करने बाबद्।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

161

आदेश पृष्ठ

PBE/वि/इज्जा/अ.रा./17/4623 भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 1623

तहसील मुराज विरुद्ध मुल्कान मुल्कान जिला इन्दौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-17	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.</p> <p>के विरुद्ध श्री जगदीश चौहान इफिकान</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....</p> <p>रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>इफिकान प्राप्ति. श्री जगदीश चौहान उप.। उनके द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण अक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिसी का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार। प्रकरण अक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिसी किया जाता है।</p>	<p>noted</p> <p>19.12.17</p> <p>20-12-17</p> <p>20-12-17</p>

[पीछे देखिये]